No.CDN-27011/2/2019-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 13.06.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of May, 2019 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23381349

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi
2. Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
3. Secretary to the Vice- President of India, Vice President's Secretariat, New Delhi.
4. The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
9. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research,C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
15. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of May., 2019"

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF MAY, 2019

1. Notifications:-

(i) Vide notification dated 08th May, 2019 the National Company Law Tribunal (Second Amendment) Rules, 2019 were published. Through this amendment, the threshold of the minimum number of members, and the threshold of the minimum shareholding held by a member or members for initiating class action under section 245(1) against a company was prescribed. Further, S. No. 28, in the schedule of fees, which provides the fees in case of applications of compounding was omitted, as such applications are originally preferred before the Registrar and fees is also collected at the first instance. (Notification no. G.S.R. 351(E) dated 08.05.2019).

(ii) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Second Amendment Rules, 2019 were notified on 16th May 2019 wherein it has been provided that in case of non-filing of e-form ACTIVE by the company, within the due date, the DIN of its directors will be marked as "Director of ACTIVE non-compliant company". Further, the DIN of such directors will be marked as "Director of ACTIVE compliant company" only after all companies in which such directors are so associated file e-form ACTIVE. (Notification no. G.S.R. 368(E) dated 16.05.2019).

(iii) The Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Third Amendment Rules, 2019 were notified on 22.05.2019, to be effective from 30.09.2019. Form PAS 6- Reconciliation of Share Capital Audit Report (Half-yearly) was prescribed under the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014. (Notification no. G.S.R. 376(E) dated 22.05.2019).

(iv) Vide notification dated 22.05.2019 the National Financial Reporting Authority (Meeting for Transaction of Business) Rules, 2019 were prescribed under sub-section (10) of section 132 of Companies Act, 2013. (Notification no. G.S.R. 377(E) dated 22.05.2019).

2. During the month of May, 2019, seven anti-trust cases were filed before the Commission. The Commission closed six anti-trust cases under Section 26(2) of the Competition Act, 2002. The Commission also received four combination notices and disposed off five combination notices during the month.

3. CCI celebrated its 10th Annual Day on 20th May, 2019 which marks the notification of the substantive enforcement provisions of the Competition Act, 2002.

4. CCI approved the formation of joint venture for consumer healthcare products by pharmaceutical giants GlaxoSmithKline(GSK) and Pfizer on 24th May, 2019. After the deal, GSK will have a majority controlling equity interest of 68% in the combined consumer healthcare business, while Pfizer will have a minority non-controlling equity interest of the remaining 32%.

5. The DG, CCI found Mahyco Monsanto Biotech Ltd. (MMBL) abusing its dominant position in the market of Bt Cotton technology by charging unfair license fee and entering into pricing agreements directly aimed at overcharging farmers who use Bt. Cotton seeds.

6. CCI on 8th May, 2019 approved acquisition of 6.5% stake by General Atlantic Group in PNB Housing Finance in a Rs.925 crore deal.

7. As on 30.04.2019, 1964 cases have been admitted by NCLT. 99 cases have been withdrawn under Sec. 12A of IBC, 100 cases have been resolved after adjudication and 404 cases have been send for liquidation.

सं. सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीखः 13.06.2019

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मई, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(हेमंत वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23381349

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को अग्रेषित-

1. कैबिनेट सचिव, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
10. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
12. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
13. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
14. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
15. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(ii) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव
(iii) अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव

प्रतिलिपि इन्हें भी अग्रेषितः निदेशक (ए.के.) - कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर शीर्षक "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का मई, 2019 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

(हेमंत वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मई, 2019 माह के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. अधिसूचनाएं:-

(i) दिनांक 8 मई, 2019 की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 प्रकाशित किये गए थे। इस संशोधन के माध्यम से धारा 245 (i) के अंतर्गत कंपनी के विरूद्ध सम्मिलित कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या और सदस्य या सदस्यों द्वारा धारित न्यूनतम शेयरधारिता की सीमा निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, शुल्क अनुसूची के क्रम संख्या 28 जिसमें संयुक्त आवेदनों का संयोजन किये जाने पर शुल्क का प्रावधान है, का लोप कर दिया गया, चूंकि ऐसे आवेदन मूल रूप से रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किये जाते है और प्रथम दृष्टांत में ही शुल्क भी ले लिया जाता है। (अधिसूचना सा.का.नि. 351 (अ) तारीख 08.05.2019)

(ii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) द्वितीय संशोधन नियम, 2019, दिनांक 16 मई 2019 को अधिसूचित किये गए थे जिनमें यह प्रावधान किया गया है कि नियत तारीख से पहले कंपनी द्वारा प्ररूप एक्टिव फाइल न किये जाने की स्थिति में, कंपनी के निदेशकों का डीआईएन "एक्टिव गैर-अनुपालक कंपनी के निदेशक" के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे निदेशकों का डीआईएन "एक्टिव अनुपालक कंपनी के निदेशक" के रूप में चिन्हित किया जाएगा जब सभी कंपनियों में ऐसे निदेशक ई-प्ररूप एक्टिव फाइल करने में सहयोग देंगे (अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368 (अ) तारीख 16.05.2019)

(iii) कंपनी (प्रतिभूतियों की प्रोस्पैक्टस और आबंटन) तृतीय संशोधन नियम, 2019, जो दिनांक 30.09.2019 से प्रभावी होने है, को दिनांक 22.05.2019 को अधिसूचित किया गया। (प्रतिभूतियों की प्रोस्पैक्टस और आबंटन) नियम, 2014 के अधीन कंपनी प्ररूप पीएएस-6 शेयर पूंजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (अर्ध वार्षिक) का संराधन निर्धारित किया गया (अधिसूचना संख्या सा.का.नि 376 (अ) तारीख 22.05.2019)

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (10) के अधीन दिनांक 22.05.2019 की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अधिकरण (व्यापार के संव्यवहार के लिए

बैठक) नियम, 2019 का निर्धारण किया गया। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 377 (अ) तारीख 22.05.2019)

2. मई, 2019 माह के दौरान आयोग के समक्ष सात स्पर्धारोधी मामले फाइल किये गए। आयोग द्वारा कंपनी अधिनियम 2002 की धारा 26 (2) के अधीन 6 स्पर्धारोधी मामले बंद किये गए। आयोग को चार संयोजन नोटिस भी प्राप्त हुए और आयोग द्वारा माह के दौरान 5 संयोजन नोटिसों का निपटारा किया गया।

3. सीसीआई ने अपना 10वां वार्षिक दिवस 20 मई, 2019 को मनाया जो कि कंपनी अधिनियम, 2002 के परंतुकों के मूल प्रवर्तन की अधिसूचना को चिन्हित करता है।

4. सीसीआई ने 24.05.2019 को उपभोक्ता स्वास्थ्य-देखभाल उत्पादों के लिए प्रमुख औषधीय उत्पादक ग्लेक्सोस्मिथलाइन (जीएसके) और फाइज़र के संयुक्त उपक्रम को स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। समझौते के उपरांत, जीएसके को बड़ हिस्से के रूप में नियंत्रक इक्विटी हित का 68% भाग प्राप्त होगा जबकि फाइज़र को छोटे गैर-नियंत्रक इक्विटी हित का शेष 32% भाग मिलेगा।

5. महानिदेशक, सीसीआई ने पाया कि माहयको मोनसेंटो बायोटेक लिमिटेड (एमएमबीएल) अनुचित लाइसेंस शुल्क वसूल कर बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी के बाजार में अपनी प्रभावी स्थिति का दुरूपयोग कर रही है और बीटी कपास बीजों का उपयोग करने वाले किसानों से अधिक दाम वसूलने के प्रयोजन से प्रत्यक्ष रूप से बिक्री समझौते कर रही है।

6. सीसीआई ने 8 मई, 2019 को जनरल अटलांटिक ग्रुप द्वारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 925 करोड़ रु. के एक सौदे में 6.5% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान कर दी।

7. एनसीएलटी द्वारा दिनांक 30.04.2019 तक 1964 मामलों को स्वीकार किये गए हैं। आईबीसी की धारा 12क के अधीन 99 मामले वापस ले लिए गए हैं, 100 मामलों का न्याय निर्णयन के उपरांत समाधान कर दिया गया है और 404 मामलों को समापन के लिए भेज दिया गया है।